



सत्यमेव जयते

लेखे एक दृष्टि में
2013-14



हरियाणा सरकार

हरियाणा सरकार

लेखे एक दृष्टि में

2013-14

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.)
हरियाणा, चण्डीगढ़

विषय सूची

विषय	संदर्भ	
	पैरा	पृष्ठ
प्रस्तावना		iii
हमारा परिदृश्य, उद्देश्य और अन्तर्मुख्य		iv
अध्याय 1 - परिदृश्य		
परिचय	1.1	1
सरकारी लेखाओं की संरचना	1.2	1
वित्त लेखे और विनियोग लेखे	1.3	2
निधियों के स्रोत एवं उपयोग	1.4	4
लेखों के मुख्य अंश	1.5	7
घाटे एवं अधिशेष क्या दर्शाते हैं ?	1.6	8
अध्याय 2 - प्राप्तियाँ		
परिचय	2.1	10
राजस्व प्राप्तियाँ	2.2	10
प्राप्तियों के रूझान	2.3	11
राज्य के स्वयं के कर राजस्व संग्रह का प्रदर्शन	2.4	13
कर संग्रह की कार्य कुशलता	2.5	13
पिछले 10 वर्षों में संघ करों में राज्य के हिस्से का रूझान	2.6	14
सहायतानुदान	2.7	14
लोक ऋण	2.8	15
अध्याय 3 - व्यय		
परिचय	3.1	16
राजस्व व्यय	3.2	16
पूँजीगत व्यय	3.3	18
अध्याय 4 - योजनागत और गैर योजनागत व्यय		
व्यय का वितरण (2013-14)	4.1	20
योजनागत व्यय	4.2	20
गैर योजनागत व्यय	4.3	21
प्रतिबद्ध व्यय	4.4	22

विषय	संदर्भ	
	पैरा	पृष्ठ
अध्याय 5 - विनियोग लेखे		
विनियोग लेखे 2013-14 का सारांश	5.1	23
अनावश्यक अनुपूरक अनुदान	5.2	23
पिछले 10 वर्षों का बचत और आधिक्य का रुझान	5.3	24
महत्वपूर्ण बचत	5.4	24
अध्याय 6 - परिसम्पत्तियाँ और दायित्व		
परिसम्पत्तियाँ	6.1	25
ऋण और दायित्व	6.2	25
गारंटी	6.3	27
अध्याय 7 - अन्य मदें		
राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण और अग्रिम	7.1	28
स्थानीय निकायों और अन्य को वित्तीय सहायता	7.2	28
व्यय एवं प्राप्तियों का मिलान	7.3	28
लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र	7.4	29
सार आकस्मिकता बिल (ए0सी0 बिल) का असमायोजन	7.5	29
वैयक्तिक जमा खाते	7.6	29
ऋणात्मक शेष	7.7	30
लेखे प्रस्तुत करने वाले संकायों से लेखाओं की प्राप्ति	7.8	30
अपूर्ण लोक लोक निर्माण कार्यों की बचनबद्धता	7.9	30
आरक्षित निधियाँ	7.10	30
राज्य कोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अन्तर्गत प्रकटन	7.11	32
नई पेंशन स्कीम	7.12	32

प्रस्तावना

‘लेखे एक दृष्टि में’, जो कि श्रृंखला में सोलहवां है, विभिन्न पण-धारियों की, हरियाणा राज्य के वित्त-सार पर, पाठक सहयोगी संस्करण की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने का एक प्रयास है।

यह संस्करण, इस कार्यालय द्वारा भारत के संविधान की धारा 149 एवं नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 खण्ड-II के अधीन तैयार वित्त-लेखों एवं विनियोग लेखों में दर्ज वृहदाकार सूचनाओं का सार है।

राज्य सरकार के वार्षिक लेखों में (क) वित्त लेखे एवं (ख) विनियोग लेखे समाहित हैं। वित्त लेखे समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक-लेखों के अन्तर्गत लेखों का सार हैं। विनियोग लेखे राज्य विधान-मण्डल द्वारा अनुमोदित प्रावधानों के प्रति अनुदान-वार व्यय और वास्तविक व्यय तथा अनुमोदित प्रावधानों के बीच विभिन्नता सम्बन्धी व्याख्याओं को दर्शाता है।

यह वित्त लेखों एवं विनियोग लेखों में दर्ज, सरकार की गतिविधियों का सम्पूर्ण दृश्य दिखाता है। सूचनाओं को आसानी से समझने के लिए, संक्षिप्त व्याख्या, विवरणी, रेखाचित्र एवं समय श्रृंखला विश्लेषण के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। हरियाणा सरकार के वर्ष 2013-14 के वित्त-लेखों, विनियोग लेखों एवं राज्य के वित्त पर भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सहित ‘लेखे एक दृष्टि में’ का अवलोकन पण-धारियों को राज्य के वित्त के विभिन्न पहलुओं को अधिक प्रभावी ढंग से समझाने में सहायक होगा।

हमें पाठकों की प्रतिक्रिया, जिस से संस्करण को उत्कृष्ट बनाने में सहायता मिलेगी, की प्रतीक्षा है।

चण्डीगढ़

07 नवम्बर, 2014

(कर्ण सिंह)
महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)
हरियाणा

हमारा परिदृश्य, उद्देश्य और अन्तर्मूल्य

भारत के नियंत्रक महालेखा-परीक्षा संस्थान का **परिदृश्य** यह प्रस्तुत करना है कि हम क्या बनने के अभिलाषी हैं।

हम प्रयत्नरत हैं कि हम लेखा और लेखा परीक्षा के मामले में राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम व्यवहारों के सम्बन्ध में, सार्वभौमिक नेतृत्व प्राप्त करें, और सार्वजनिक वित्त व शासन के संबंध में स्वतंत्र, साख पूर्ण, संतुलित और समायोजित प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

हमारा **उद्देश्य** वर्णन करता है कि हम आज कल क्या कर रहे हैं, और हमारी वर्तमान भूमिका क्या है।

भारत के संविधान द्वारा समर्थित, हम उच्च गुणवत्तापूर्ण लेखा व लेखा परीक्षा के माध्यम से जिम्मेवारी, पारदर्शिता और सुशासन को प्रोत्साहन देते हैं तथा हमारे पणधारियों-विधानपालिका, कार्यपालिका और जनता को स्वतंत्र वचन देते हैं कि सार्वजनिक धन का दक्षता पूर्ण और उद्देश्यपूर्ण प्रयोग हो रहा है।

हमारे **अन्तर्मूल्य**, जो कुछ हम करते हैं उसके संबंध में हमें दिशा निर्देश देते हैं और हमारे प्रदर्शन के मूल्यांकन के संबंध में न्यायिक चिन्ह प्रदान करते हैं।

- स्वतंत्रता
- उद्देश्यपूर्णता
- एकरूपता
- विश्वसनीयता
- व्यवहारिक उत्कृष्टता
- पारदर्शिता
- सकारात्मकता

अध्याय 1 - परिदृश्य

1.1. परिचय


महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हरियाणा, हरियाणा सरकार के आय व व्यय के लेखों को संकलित करते हैं। ये लेखे, जिला कोषागारों, लोक निर्माण विभाग व वन मण्डलों के अधिकारियों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भेजी गयी सुचनाओं पर आधारित होते हैं। इसके उपरांत महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रति वर्ष वित्त लेखे व विनियोग लेखे तैयार करते हैं, जिन्हें प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) द्वारा परीक्षित व भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित किये जाने के उपरान्त राज्य विधान मंडल को प्रस्तुत किया जाता है।

1.2. सरकारी लेखाओं की संरचना


1.2.1. सरकारी लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं:

<p>भाग I समेकित निधि</p>	<p>राजस्व व पूंजीगत, लोक देनदारियां एवं ऋण व अग्रिम से सम्बन्धित सभी प्राप्तियाँ तथा व्यय।</p>
<p>भाग II आकस्मिक निधि</p>	<p>बजट में प्रावधान न किये गये आकस्मिक व्यय की पूर्ति हेतु। इस निधि से खर्च की बाद में समेकित निधि से प्रतिपूर्ति की जाती है।</p>
<p>भाग III लोक लेखा</p>	<p>ऋण, जमा, अग्रिम, प्रेषण और उचन्त लेन-देन। ऋण तथा जमा राज्य सरकार के दायित्वों को दर्शाते हैं। अग्रिम सरकार के प्राप्तेय हैं। प्रेषण तथा उचन्त लेन-देन, ऐसी प्रविष्टियां होती है जिन्हें कालान्तर में अंतिम लेखाशीर्षों में समायोजित किया जाता है।</p>

1.2.2. सरकारी लेखों की संरचना का चित्रमय प्रदर्शन:



1.2.3 लेखाओं का संकलन



1.3. वित्त लेखे और विनियोग लेखे

1.3.1. वित्त लेखे

वित्त लेखे, राजस्व व पूंजीगत लेखों के वित्तिय परिणामों व लोक ऋण तथा लोक लेखों के शेषों के साथ-साथ सरकार की प्राप्तियों व व्ययों को दर्शाते हैं। वित्त लेखे को अधिक सुगम व सूचनात्मक बनाने के लिये एक नये रूप में दो खण्डों में प्रकाशित किया गया है। खण्ड 1 में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रमाण पत्र, सकल प्राप्तियों तथा व्ययों के सारांश संबंधी विवरणियां, लेखा संबंधी महत्वपूर्ण नीतियां तथा लेखों की गुणवत्ता व अन्य मदों के साथ-साथ लेखों पर टिप्पणियां शामिल हैं। खण्ड-2 में अन्य सारांश संबंधी विवरणियां (भाग-I), विस्तृत विवरणियां (भाग- II) व परिशिष्ट (भाग- III) शामिल हैं।

वित्त लेखे 2013-14 में दिखाये गये राजस्व व पूंजीगत लेखे, लोक ऋण और दायित्व निम्न लिखित है।
(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां (कुल: 46,597)	राजस्व (कुल: 38,012)	कर राजस्व	28,910
		कर रहित राजस्व	4,975
		सहायतानुदान	4,127
	पूंजीगत (कुल: 8,585)	पूंजीगत प्राप्तियाँ	10
		ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियां	262
		उधार व अन्य दायित्व*	8,313
संवितरण (कुल: 46,597)	राजस्व	41,887	
	पूंजीगत	3,935	
	ऋण तथा अग्रिम	775	

* उधार व अन्य दायित्व: लोक ऋण का (प्राप्तियां व संवितरण) निवल (₹ 9,636 करोड़) + आकस्मिक निधि का निवल(-) + लोक लेखे में (प्राप्तियां व संवितरण) निवल (- ₹2,140 करोड़) + आरम्भिक व अंतिम रोकड़ शेषों का निवल(₹ 817 करोड़)।

केन्द्र सरकार विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों को लागू करने हेतु कार्यान्वित्त अभिकरणों/गैर सरकारी संस्थानों की अधिकांश निधियां सीधे तौर पर हस्तांतरित करती है। इस वर्ष सीधे तौर पर भारत सरकार ने ₹ 3,220 करोड़ (₹ 2,511 करोड़ बीते वर्ष) जारी किये। चूंकि ये निधियां राज्य सरकार के बजट के माध्यम से नहीं आयी, इसलिए ये राज्य सरकार के लेखाओं में प्रदर्शित नहीं की गईं। ये हस्तांतरण वित्त लेखे के खण्ड-2 के परिशिष्ट-VII में दर्शायी गयी हैं।

1.3.2. विनियोग लेखे

विनियोग लेखे, वित्त लेखे का अनुपूरक है। विनियोग लेखे राज्य विधानमंडल द्वारा पारित दत्तमत और प्रभारित धनराशियों के विरुद्ध किये गये व्यय को प्रस्तुत करते हैं।

विनियोग अधिनियम 2013-14 में ₹ 3,025 करोड़ की अनुपूरक अनुदानों को सम्मिलित करते हुए ₹ 78,118 करोड़ के सकल व्यय की व्यवस्था की गई है। व्यय की कमी से वसूलियों के लिए ₹ 8,915 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था थी। विनियोग लेखे 2013-14 कुल प्रावधान ₹ 78,118 करोड़ के विरुद्ध ₹ 61,251 करोड़ के संवितरण को दर्शाते हैं। परिणाम स्वरूप अनुदानों और विनियोगों के विरुद्ध ₹ 16,868 करोड़ की बचत हुई है। ₹ 6,576 करोड़ की व्यय में कमी से संबंधित वसूलियां बजट अनुदान की तुलना में ₹ 2,339 करोड़ की नकारात्मक वृद्धि को दर्शाते हैं। वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 44 करोड़ संचित निधि से लोक लेखा के तहत व्यक्तिगत जमा लेखा, जो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए नामित प्रशासक के द्वारा रखा जाता है को हस्तांतरित किया गया है। आमतौर पर व्यक्तिगत जमा खातों के तहत अव्ययित शेष वित्तीय वर्ष के अन्त में वापस सरकार को हस्तांतरित किया जाता है। हालांकि, ऐसे स्थानान्तरण का ब्यौरा, यदि कोई हो और व्यक्तिगत जमा खातों में बकाया शेष खजानों के साथ ही उपलब्ध है, क्योंकि वे इस तरह के रिकार्ड के रख-रखाव के लिए जिम्मेवार हैं।

1.4. निधियों के स्रोत एवं उपयोग

1.4.1. अर्थोपाय अग्रिम

भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकारों को अपनी आर्थिक परिसमापन स्थिति को बनाए रखने के लिए अर्थोपाय पेशगियों की सुविधा देती है और उसके बाद जब कभी सहमत न्यूनतम रोकड़ शेषों (₹ 1.14 करोड़) में कमी होती है तब ओवर ड्राफ्ट की सुविधा देती है जिसका लेखा रिजर्व बैंक रखता है। वर्ष 2013-14 के दौरान हरियाणा सरकार ने ओवर ड्राफ्ट सुविधा का लाभ नहीं उठाया और ₹ 109 करोड़ की अर्थोपाय पेशगी प्राप्त की। वर्ष के दौरान अर्थोपाय पेशगी की पूरी वापसी कर दी गई।

1.4.2. निधि प्रवाह विवरण

राज्य के पास ₹ 3,875 करोड़ का राजस्व घाटा और ₹ 8,313 करोड़ का राजकोषीय घाटा था जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी)¹ का क्रमशः 1.00 प्रतिशत एवं 2.17 प्रतिशत था। राजकोषीय घाटा कुल व्यय का 18 प्रतिशत था। इसकी भरपाई लोक ऋण से की गयी। राज्य की लगभग 56 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियां (₹ 38,012 करोड़) प्रतिबद्ध व्यय जैसे वेतन (₹ 11,307 करोड़) ब्याज भुगतान (₹ 5,850 करोड़) एवं पेंशन (₹ 4,169 करोड़) पर खर्च हुई।


¹ प्रकाशित राज्य सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े वर्तमान दरों पर जैसा कि सांख्याकी एवं योजना क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किए गए।

निधियों के स्रोत और उपयोग


(₹ करोड़ में)

	विवरण	राशि
	प्रारंभिक रोकड़ शेष 01.04.2013 को	165
	राजस्व प्राप्तियां	38,012
	पूंजीगत प्राप्तियां	10
	ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियां	262
	लोक ऋण (अर्थोपाय पेशगियां भी शामिल हैं)	17,713
	भविष्य निधि, लघु बचत और अन्य	2,499
	आरक्षित और निक्षेप निधियाँ	512
स्रोत	जमा प्राप्तियां	15,621
	सिविल अग्रिमों का पुनर्भुगतान	24
	उचन्त लेखे	42,784
	प्रेषण	7,521
	आकस्मिक निधि	-
	कुल	1,25,123
	राजस्व व्यय	41,887
	पूंजीगत व्यय	3,935
	प्रदत्त ऋण	775
	लोक ऋण का पुनर्भुगतान (अर्थोपाय पेशगियां भी शामिल हैं)	8,077
	आकस्मिक निधि को विनियोजन	-
	भविष्य निधि लघु बचत और अन्य	1,778
	आरक्षित और निक्षेप निधियाँ	509
उपयोग	जमा व्यय	14,535
	प्रदत्त सिविल अग्रिम	24
	उचन्त लेखे	46,733
	प्रेषण	7,522
	अंतिम रोकड़ शेष 31.03.2014 को	(-) 652
	कुल	1,25,123

1.4.3. रूपये का आवक स्थान



1.4.4. रूपये का जावक स्थान



1.5 लेखे के मुख्य अंश

(₹ करोड़ में)

	व्यय	बजट अनुमान 2013-14	वास्तविक आंकड़े	वास्तविक आंकड़ों की बजट अनुमानों से प्रतिशतता	वास्तविक आंकड़ों की जी.एस.डी.पी से प्रतिशतता (\$)
1	कर राजस्व @	32,268	28,910	90	8
2	कर भिन्न राजस्व	5,162	4,975	96	1
3	सहायकता अनुदान तथा अंशदान	6,350	4,127	65	1
4	राजस्व प्राप्तियां (1+2+3)	43,780	38,012	87	10
5	ऋणों की वसूली	305	262	86	..
6	अन्य प्राप्तियां	13	10	77	..
7	उधार एवं अन्य दायित्व (क)	8,976	8,313	93	2
8	पूंजीगत प्राप्तियां (5+6+7)	9,294	8,585	92	2
9	कुल प्राप्तियां (4+8)	53,074	46,597	88	12
10	योजनेत्तर व्यय (*)	32,731	30,885	94	8
11	राजस्व लेखे पर योजनेत्तर व्यय	32,420	31,735	98	8
12	मद संख्या 11 में से ब्याज के भुगतान पर योजनेत्तर व्यय	6,302	5,850	93	2
13	पूंजीगत लेखे पर योजनेत्तर व्यय	301	(-850)
14	योजनागत व्यय (*)	20,353	15,712	77	4
15	राजस्व लेखे पर योजनागत व्यय	13,803	10,152	74	3
16	पूंजीगत लेखे पर योजनागत व्यय	6,549	5,560	85	1
17	कुल व्यय (10+14)	53,074	46,597	88	12
18	राजस्व व्यय (11+15)	46,223	41,887	91	11
19	पूंजीगत व्यय (13+16)(#)	6,850	4,710	69	1
20	राजस्व आधिक्य घाटा (4-18)	(-2,443)	(-3,875)	159	1
21	राजकोषीय घाटा (4+5+6-17)	(-8,976)	(-8,313)	93	2

(@) ₹ 3,343 करोड़ संघीय कर का राज्य का हिस्सा शामिल है।

(S) ₹ 3,83,911 करोड़ जी.एस.डी.पी. वर्तमान दरों पर सांख्यिक एवं योजना क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा अगस्त, 2014 में प्रकाशित।

(#) पूंजीगत लेखे पर व्यय में पूंजीगत व्यय (₹ 3,935 करोड़) तथा वितरित कर्ज तथा उधार (₹ 775 करोड़) शामिल है।

(*) योजनेत्तर व्यय ₹ 262 करोड़ और ऋण और अग्रिम के लिए योजनागत ₹ 493 करोड़ रुपये शामिल है।

(क) उधार तथा अन्य दायित्व: निवल (प्राप्तियां-संवितरण) लोक ऋण + निवल आकस्मिक निधि + निवल (प्राप्तियां-संवितरण) लोक लेखे + नकद प्राप्तियों का आरंभिक शेष निवल


1.6 घाटे एवं अधिशेष क्या दर्शाते हैं?

घाटा	राजस्व एवं व्ययों के बीच के अंतर को संदर्भित करता है। घाटे का प्रकार, घाटे का वित्त पोषण कैसे किया गया एवं निधियों के उपयोग वित्तीय प्रबंधन में विवेक के महत्वपूर्ण संकेतक है।
राजस्व घाटा/अधिशेष	राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्ययों के अन्तर को संदर्भित करता है। राजस्व व्यय के लिए सरकार की वर्तमान स्थापना को बनाये रखने के लिए आवश्यक है कि यह व्यय पूरी तरह राजस्व प्राप्तियों से ही हो।
राजकोषीय घाटा/अधिशेष	कुल प्राप्तियों (उधार छोड़कर) और कुल व्यय के बीच अंतर को संदर्भित करता है। यह अंतर, इस प्रकार इंगित करता है कि कौन सा व्यय उधार द्वारा वित्त पोषित है। आदर्श रूप में उधारों को पूंजीगत परियोजनाओं में निवेशित करना चाहिए।

1.6.1 राजस्व घाटा/आधिक्य के रुझान:




1.6.2 राजकोषीय घाटे के रुझान:



1.6.3 पूंजीगत व्यय पर खर्च की गई उधार निधि का अनुपात

(₹ करोड़ में)

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
उधार निधि	4,474	3,349	2,012	844	3,888	8,455	10,513	11,741	15,560	17,713
पूंजीगत व्यय	897	1,612	2,428	3,426	4,502	5,218	4,031	5,372	5,762	3,935



यह वांछनीय है कि पूंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए उधार ली गई रकम का उपयोग मूलधन तथा ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए राजस्व प्राप्ति का पूरी तरह से उपयोग करें। बहरहाल राज्य सरकार चालू वर्ष में उधारी (₹17,713 करोड़) का केवल 22 प्रतिशत पूंजीगत व्यय (₹ 3,935 करोड़) पर खर्च कर पाई। इससे यह प्रकट होता है कि लोक ऋण का 78 प्रतिशत (₹ 13,778 करोड़) पिछले वर्षों के लोक ऋण के मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान, चालू वर्ष में व्यय के प्रति राजस्व की आवधिक कमी को पूरा करने हेतु, उपयोग किया गया।


अध्याय 2 - प्राप्तियाँ

2.1. परिचय

सरकार की प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियाँ और पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वर्ष 2013-14 के लिए कुल प्राप्तियाँ ₹ 46,597 करोड़ रही ।

2.2. राजस्व प्राप्तियाँ

कर राजस्व	संविधान के अनुच्छेद 280 (3) के तहत केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा एवं राज्य द्वारा संग्रहीत और रखे गए कर इसके अन्तर्गत आते हैं ।
कर भिन्न राजस्व	व्याज प्राप्तियाँ, लाभांश, लाभ आदि शामिल होते हैं।
सहायतानुदान	मूलतः केन्द्रीय सहायता राज्य सरकार को संघ सरकार की ओर से सहायता का एक रूप है इसमें बाहरी सहायतानुदान तथा सहायता सामग्री व उपकरण जो विदेशों से प्राप्त हुए हैं, केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान किये गये हैं भी शामिल है ।



राजस्व प्राप्ति घटक (2013-14)


घटक	(₹ करोड़ में) वास्तविक आंकड़े
क. राजस्व कर	28,910
आय और व्यय पर कर	1,865
पूंजी हस्तान्तरण और सम्पत्ति पर कर	3,218
आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर कर	23,827
ख. कर भिन्न राजस्व	4,975
ब्याज प्राप्तियाँ, लाभ और लाभांश	1,097
सामान्य सेवायें	585
सामाजिक सेवायें	1,688
आर्थिक सेवायें	1,605
ग. सहायतानुदान एवं अंशदान	4,127
कुल- राजस्व प्राप्ति	38,012

2.3. प्राप्ति के रुझान

(₹ करोड़ में)

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
कर राजस्व (राज्य के स्वयं के कर राजस्व)	7,441 (9)	9,078 (10)	10,927 (8)	11,618 (8)	11,655 (6)	13,220 (6)	16,790 (6)	20,399 (6)	23,559 (7)	25,567 (7)
संघ करों में राज्य का हिस्सा	619 (1)	1,201 (1)	1,296 (1)	1,634 (1)	1,725 (1)	1,774 (1)	2,302 (1)	2,682 (1)	3,062 (1)	3,343 (1)
कर भिन्न राजस्व	2,544 (3)	2,459 (3)	4,591 (4)	5,097 (3)	3,238 (2)	2,742 (1)	3,421 (2)	4,722 (2)	4,673 (2)	4,975 (1)
सहायतानुदान	545 (1)	1,115 (1)	1,138 (1)	1,402 (1)	1,834 (1)	3,257 (2)	3,051 (1)	2,755 (1)	2,340 (1)	4,127 (1)
कुल राजस्व प्राप्ति	11,149 (14)	13,853 (15)	17,952 (14)	19,751 (13)	18,452 (10)	20,993 (10)	25,564 (10)	30,558 (10)	33,634 (10)	38,012 (10)
सकल राज्य घरेलू उत्पादन	80,665	93,441	1,30,141	1,54,283	1,82,914	2,16,287	2,57,793	3,09,326	3,53,440	3,83,911


नोट: कोष्ठकों में आंकड़े, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है। वर्ष 2013-14 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद आंकड़े वर्तमान दरों पर सांख्यिक एवं योजना क्रियान्वन मंत्रालय द्वारा अगस्त, 2014 में प्रकाशित हैं।



क्षेत्रवार कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
क. आय और व्यय पर कर	282	600	650	867	921	1,137	1,375	1,592	1,759	1,865
ख. सम्पत्ति और पूंजीगत लेनदेन पर कर	739	1,353	1,778	1,773	1,335	1,305	2,331	2,808	3,341	3,218
ग. वस्तुओं और सेवाओं पर कर	7,039	8,326	9,795	10,612	11,124	12,552	15,386	18,681	21,521	23,827
कुल कर राजस्व	8,060	10,279	12,223	13,252	13,380	14,994	19,092	23,081	26,621	28,910



2.4 राज्य के स्वयं के कर राजस्व संग्रह का प्रदर्शन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राजस्व कर	संघ कर का राज्य अंश	राज्य का अपना कर राजस्व	
			रुमये	सकल राज्य धरेलू उत्पाद का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2004-05	8,060	619	7,441	9
2005-06	10,279	1,201	9,078	10
2006-07	12,223	1,296	10,927	8
2007-08	13,252	1,634	11,618	8
2008-09	13,380	1,725	11,655	6
2009-10	14,994	1,774	13,220	6
2010-11	19,092	2,302	16,790	6
2011-12	23,081	2,682	20,399	6
2012-13	26,621	3,062	23,559	7
2013-14	28,910	3,343	25,567	7

2.5 कर संग्रह की कार्यकुशलता:

क. पूंजीगत लेन-देन और सम्पत्ति पर कर

(₹ करोड़ में)

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
राजस्व संग्रह	739	1,353	1,778	1,773	1,335	1,305	2,331	2,808	3,341	3,218
संग्रह पर व्यय	42	47	65	72	93	117	121	116	131	140
कर संग्रह में कार्यकुशलता (प्रतिशतता)	6	4	4	4	7	9	5	4	4	4

ख. वस्तुओं और सेवाओं पर कर

(₹ करोड़ में)

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
राजस्व संग्रह	7,039	8,326	9,795	10,612	11,124	12,252	15,386	18,681	21,521	23,827
संग्रह पर व्यय	58	63	67	71	95	114	127	127	139	146
कर संग्रह के कार्यकुशलता (प्रतिशतता)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

वस्तुओं और सेवाओं पर कर, कर राजस्व का एक बड़ा हिस्सा है। कर संग्रहण क्षमता उत्कृष्ट है, हालांकि संपत्ति और पूंजीगत लेन-देन पर करों की संग्रहण क्षमता में सुधार किया जा सकता है।

2.6 पिछले 10 वर्षों में संघ करों में राज्य के हिस्से का रुझान

(₹ करोड़ में)


मुख्य शीर्ष का विवरण	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
निगम कर	200	337	404	518	565	730	900	1,056	1,100	1,125
आय पर निगम कर से भिन्न कर	82	263	246	348	355	407	475	536	659	740
सम्पत्ति पर कर	-	1	1	1	1	2	2	4	2	3
सीमा शुल्क	129	218	253	309	330	248	403	465	509	546
संघ उत्पाद शुल्क	174	297	268	295	288	200	293	301	345	385
सेवा कर	34	85	124	163	186	187	229	320	447	544
संघ कर का राज्यों का हिस्सा	619	1,201	1,296	1,634	1,725	1,774	2,302	2,682	3,062	3,343
कुल कर राजस्व	8,060	10,279	12,223	13,252	13,380	14,994	19,092	23,081	26,621	28,910
कुल कर राजस्व में संघ कर की प्रतिशतता	8	12	11	12	13	12	12	12	12	12

हरियाणा सरकार को वर्ष 2004-05 से 2013-14 तक संघ कर से राज्य का हिस्सा कुल कर राजस्व का 8 प्रतिशत से 13 प्रतिशत की दर से प्राप्त हो रहा है।

2.7 सहायतानुदान

सहायतानुदान भारत सरकार द्वारा दी गई सहायता को दर्शाता है, और इसमें राज्य योजनागत योजनाएं, केन्द्रीय योजनागत योजनाएं और केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना, योजना आयोग और राज्य वित्त आयोग से सिफारिश की गयी गैर योजनागत अनुदान द्वारा अनुमोदित योजनाओं के लिए अनुदान शामिल है।

वर्ष 2013-14 के दौरान सहायता अनुदान के तहत कुल प्राप्तियां ₹ 4,127 करोड़ थी जिन्हें कि नीचे दिखाया गया है ।



वर्ष 2013-14 के दौरान गैर योजनागत अनुदान की हिस्सेदारी वर्ष 2012-13 के कुल सहायतानुदान 36 प्रतिशत से बढ़ कर 54 प्रतिशत हुई है । जबकि वर्ष 2013-14 में योजनागत स्कीम अनुदान में हिस्सेदारी वर्ष 2012-13 के 64 प्रतिशत से घटकर बढ़ कर 46 प्रतिशत हुई है ।

2.8 लोक ऋण

पिछले 10 वर्षों में लोक ऋण [निवल वृद्धि (+)/ कमी(-)] का रुझान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
आंतरिक ऋण	2,872	2,311	988	48	2,644	5,743	5,688	6,857	9,338	9,463
केन्द्रीय सरकार ऋण	(-) 1,412	(-) 70	(-) 90	(-) 45	(-) 48	(-) 34	184	(-)127	(-)76	173
कुल लोक ऋण वृद्धि/कमी	1,460	2,241	898	3	2,596	5,709	5,872	6,730	9,262	9,636

नोट- नकारात्मक आंकड़ों से संकेत मिलता है कि अदायगी प्राप्तियों से अधिक है ।

वर्ष 2013-14 में 17 ऋण कुल योग ₹ 11,446 करोड़ भिन्न ब्याज दरों 7.59 प्रतिशत से 9.89 प्रतिशत पर उठाए गए थे जो कि 2023-24 में सम मूल्य पर प्रतिदेय थे ।

वर्ष 2013-14 में राज्य सरकार का कुल आंतरिक ऋण ₹ 17,371 करोड़ (₹ 109 करोड़ अर्थोपाय पेशगियों सहित) जिसमें केन्द्रीय ऋण घटक ₹ 342 करोड़ भी शामिल थी, पूंजीगत व्यय जो कि केवल ₹ 3,935 करोड़ (22 प्रतिशत) था, दर्शाता है कि बाकी का लोक ऋण गैर विकासात्मक प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया गया था ।

अध्याय 3 - व्यय

3.1. परिचय

व्यय को राजस्व और पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। संगठन की प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राजस्व व्यय किया जाता है। पूंजीगत व्यय का उपयोग स्थायी सम्पत्तियों के निर्माण अथवा इनमें वृद्धि करने अथवा स्थायी दायित्वों को कम करने में किया जाता है। व्यय को आगे योजनागत और गैरयोजनागत व्यय में वर्गीकृत किया जाता है।

सामान्य सेवायें	न्याय, पुलिस, जेल, लोक निर्माण विभाग पेंशन इत्यादि शामिल
सामाजिक सेवायें	शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जल आपूर्ति, अनुसूचित जाति/ जनजाति का कल्याण शामिल
आर्थिक सेवाएं	कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, सहकारिता, उर्जा, उद्योग, परिवहन शामिल।


3.2. राजस्व व्यय

पिछले 10 वर्षों के दौरान राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत बजट अनुमानों के विरुद्ध व्ययों की कमी का विवरण नीचे दिया है।

(₹ करोड़ में)

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
अनुमानित बजट	11,340	13,696	16,929	18,521	23,364	27,519	33,062	37,234	43,098	48,999
वास्तविक	11,583	12,800	16,494	17,641	20,635	25,435	28,713	32,116	38,206	41,968
अन्तर	(-) 243	896	435	880	2,729	2,084	4,349	5,118	4,892	7,031
अनुमान बजट से अधिक अन्तर का प्रतिशत	2	7	3	5	12	8	13	14	11	14

(स्रोत- संबंधित वर्ष के विनियोग लेखे)



वर्ष 2013-14 के विनियोग लेखे में राजस्व व्यय ₹ 41,968 करोड़, बजट अनुमान से ₹ 7,031 करोड़ कम रहा ।

बजट अनुमानों के विरुद्ध राजस्व प्राप्तियों में कमी 13 प्रतिशत) के कारण राज्य सरकार को राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन (एफ आर बी एम) अधिनियम के संदर्भ में राजस्व अधिशेष सृजन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा । कुल राजस्व व्यय के 51 प्रतिशत के लगभग गैर योजनागत व्यय (वेतन, पेंशन इत्यादि) पर खर्च की गई ।

3.2.1 राजस्व व्यय का सेक्टर वितरण (2013-14)


(₹ करोड़ में)

अवयव	राशि	प्रतिशत
क. वित्तीय सेवायें	287	1
(i) पूंजी लेनदेन और सम्पत्ति पर कर की वसूली	140	-
(ii) वस्तुओं और सेवाओं पर कर की वसूली	146	-
(iii) अन्य वित्तीय सेवाएं	1	-
ख. राज्य के अंग	561	1
ग. ब्याज भुगतान और ऋण सेवाएं	5,850	14
घ. प्रशासनिक सेवाएं	2,729	7
ङ. पेंशन और विविध सामान्य सेवाएं	4,170	10
च. सामाजिक सेवाएं	15,414	37
छ. आर्थिक सेवाएं	12,740	30
ज. सहायतानुदान और अंशदान	136	-
कुल व्यय (राजस्व लेखा)	41,887	100

3.2.2 व्यय (2005-2014)

(₹ करोड़ में)

क्र.स	क्षेत्र	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1.	सामाजिक सेवाएं	3,218	3,995	4,615	5,739	7,259	9,902	10,904	12,641	14,516	15,414
2.	आर्थिक सेवाएं	3,199	3,815	6,627	6,222	7,036	7,530	7,997	9,054	11,557	12,740
3.	ऋण और अग्रिम	2,286	2,142	2,316	2,396	2,386	2,809	3,424	4,152	4,955	5,850
4.	सामान्य सेवाएं (ब्याज भुगतान और ऋण सेवाएं के अतिरिक्त)	2,612	2,438	2,529	2,833	3,638	4,946	5,904	6,068	6,942	7,747



3.3. पूंजीगत व्यय

वर्ष 2013-14 का पूंजीगत संवितरण सकल धरेलू उत्पाद के 1 प्रतिशत जो कि बजट अनुमान से ₹ 2,140 करोड़ कम था।

3.3.1. पूंजीगत व्ययों का क्षेत्रवार संवितरण

वर्ष 2013-14 के दौरान सरकार ने विभिन्न परियोजनाओं पर ₹ 689 करोड़ खर्च किए (₹ 169 करोड़ मुख्य सिंचाई पर तथा ₹ 520 करोड़ मध्यम सिंचाई पर) और विभिन्न सांघिक निगमों/कंपनियों/सोसायटियों में ₹ 149 करोड़ निवेश किए।


(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	क्षेत्र	राशि	प्रतिशत
1.	सामान्य सेवाएं-पुलिस, भूमि राजस्व आदि	282	6
2.	सामाजिक सेवाएं-शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, जलापूर्ति, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का कल्याण, आदि	1,824	39
3.	आर्थिक सेवाएं-कृषि, ग्रामिण विकास, सिंचाई, सहकारिता, उर्जा, उद्योग, परिवहन आदि	1,829	39
4.	ऋण और अग्रिम संवितरण	775	16
कुल		4,710	100

3.3.2 पिछले 10 वर्षों में पूंजीगत व्यय का क्षेत्रवार वितरण


(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	क्षेत्र	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1.	सामान्य सेवाएं	58	82	90	171	195	187	199	235	251	282
2.	सामाजिक सेवाएं	287	439	649	922	1,109	1,070	1,230	1,367	1,446	1,824
3.	आर्थिक सेवाएं	552	1,091	1,688	2,333	3,198	3,961	2,602	3,770	4,065	1,829
4.	त्रण और अग्रिम	208	177	185	286	332	830	722	627	522	775
	कुल	1,105	1,789	2,612	3,712	4,834	6,048	4,753	5,999	6,284	4,710



अध्याय 4 - योजनागत एवं गैर योजनागत व्यय

4.1 व्यय का वितरण (2013-14)



4.2 योजनागत व्यय

वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 15,712 करोड़ कुल संवितरण के 34 प्रतिशत योजनागत व्यय (₹ 13,738 करोड़ राज्य योजनागत के अन्तर्गत, ₹ 1,481 करोड़ केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनागत स्कीमें और ₹ 493 करोड़ ऋण और अग्रिम के तहत) था।

4.2.1 योजनागत व्यय का रुझान

(₹ करोड़ में)

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
कुल व्यय	12,512	14,429	18,974	21,238	25,369	31,305	33,063	38,014	44,356	46,597
पूंजीगत व्यय	2,705	3,707	4,975	6,612	7,928	10,534	10,634	12,510	13,931	15,712
पूंजीगत व्यय का प्रतिशत	22	26	26	31	31	34	32	33	31	34
पूंजीगत व्यय का प्रतिशत	3	4	4	4	4	5	4	4	4	4

4.2.2 पूंजीगत खाते के अंतर्गत योजनागत व्यय

(₹ करोड़ में)

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
कुल पूंजीगत व्यय	1,105	1,789	2,612	3,711	4,834	6,048	4,753	5,999	6,284	4,710
पूंजीगत व्यय (योजनागत)	1,105	1,692	2,521	3,436	4,010	4,819	4,383	4,718	4,475	5,560
पूंजीगत व्यय का प्रतिशत (योजनागत) और कुल पूंजीगत व्यय	100	95	97	93	83	80	92	79	71	118


4.3 गैर योजनागत व्यय

वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 30,885 करोड़ कुल संवितरण के 66 प्रतिशत गैर योजनागत व्यय (₹ 31,735 करोड़ राजस्व और (-) ₹ 850 करोड़ पूंजीगत के अन्तर्गत) था।

4.3.1 गैर योजनागत व्यय का रुझान

(₹ करोड़ में)

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
कुल व्यय	12,512	14,429	18,974	21,238	25,369	31,305	33,063	38,014	44,356	46,597
पूंजीगत व्यय	9,807	10,722	13,999	14,626	17,441	20,771	22,429	25,504	30,425	30,885
पूंजीगत व्यय का प्रतिशत	78	74	74	69	69	66	68	67	69	66
पूंजीगत व्यय का प्रतिशत	12	11	11	9	10	10	9	8	9	8




4.4 प्रतिबद्ध व्यय

(₹ करोड़ में)

घटक	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
प्रतिबद्ध व्यय *	3,137	7,002	7,563	8,209	10,454	13,590	16,085	17,084	19,650	21,326
राजस्व व्यय	11,407	12,640	16,362	17,527	20,535	25,257	28,310	32,015	38,072	41,887
प्रतिबद्ध व्यय का राजस्व प्राप्ति (अध्याय 2) से प्रतिशत	28	51	42	42	57	65	63	56	58	56
प्रतिबद्ध व्यय का राजस्व व्यय से प्रतिशत	28	55	46	47	51	54	57	53	52	51

प्रतिबद्ध व्यय पर अत्यधिक व्यय की प्रवृत्ति विकासात्मक व्यय के लिए सरकार को कम लचीलापन देती है।

* ब्याज अदायगियाँ, पेंशन अदायगी व वेतन (केवल राजस्व व्यय) शामिल हैं। हालांकि वर्ष 2004-05 में वेतन शामिल नहीं है।



अध्याय 5 - विनियोग लेखे

5.1. विनियोग लेखे 2013-14 का सारांश

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	पुनर्विनियोजन	कुल	वास्तविक व्यय	बचत (-) आधिक्य (+)
1	राजस्व दत्तमत भारित	39,590 7,086	2,313 10	(-) 5,646 (-) 721	36,257 6,375	36,022 5,946	(-)235 (-) 429
2	पूंजीगत दत्तमत भारित	14,165 63	691 ..	(-) 4,854 (-) 8	10,007 55	10,368 62	361 7
3	लोक ऋण भारित	13,105	..	(-) 3,046	10,059	8,077	(-) 1,982
4	ऋण और अग्रिम दत्तमत	1,084	6	(-) 150	940	776	(-) 164
	कुल दत्तमत भारित	54,839 20,254	3,015 10	(-) 10,650 (-) 3,775	47,204 16,489	47,166 14,085	(-) 38 (-) 2,404

5.2. अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

वर्ष 2013-14 के दौरान अनावश्यक सिद्ध हुई अनुपूरक अनुदानों का विवरण नीचे दिया गया है

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	अनुदान की संख्या और नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	अनुपूरक प्रावधान
राजस्व (दत्तमत)					
1	4-राजस्व	859	655	204	122
2	5-आबकारी तथा कराधान	138	132	6	5
3	7-आयोजना तथा सांख्यिकी	547	266	281	0.35
4	8- भवन तथा सड़के	1,122	1,061	61	0.07
5	11-खेलकूल तथा युवा कल्याण	174	124	50	7
6	13-स्वास्थ्य	1,936	1,702	234	46
7	14-नगर विकास	189	74	115	3
8	15-स्थानीय शासन	2,074	1,554	520	70
9	19-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े, वर्गों का कल्याण	420	322	98	43
10	21-महिला तथा बाल विकास	696	561	135	23
11	25-उद्योग	112	76	36	1
12	27-कृषि	1,072	832	240	17
13	30-वन तथा वन्य प्राणी	265	259	6	2
14	31-परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण	5.32	4.96	0.36	0.24
15	32-ग्रामीण तथा सामुदायिक विकास	2,171	1,854	317	28
16	42-न्याय प्रशासन	322	308	14	9
पूंजीगत (दत्तमत)					
1	21-महिला तथा बाल विकास	189	2	187	7
2	35-पर्यटन	24	20	4	1
3	45- राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा पेशगियां	1,084	776	308	6

कुल 46 अनुदानों में से, 26 अनुदान दत्तमत, 01 प्रभारित एवं शेष 19 अनुदान दत्तमत एवं प्रभारित से संबंधित है।

5.3. पिछले 10 वर्षों का बचत और आधिक्य का रुझान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बचत (-) /आधिक्य (+)				कुल
	राजस्व	पूंजीगत	लोक ऋण	ऋण और पेशगियाँ	
2004-05	(-) 548	(-)237	(-) 2,006	(-) 60	(-)2,851
2005-06	(-) 896	213	(-) 475	(-) 41	(-) 1,199
2006-07	(-) 434	85	(-) 684	(-) 7	(-) 1,040
2007-08	(-) 880	71	(-) 1,375	(-) 12	(-)2,196
2008-09	(-) 2,729	245	(-) 1,097	(-) 137	(-)3,718
2009-10	(-) 2,084	(-)537	(-) 2,032	(-) 654	(-)5,307
2010-11	(-) 4,349	(-)1,304	(-) 3,226	(-)881	(-)9,760
2011-12	(-) 5,118	(-)856	(-) 2,944	(-) 533	(-)9,451
2012-13	(-) 4,892	(-) 1,474	(-) 4,251	(-) 366	(-) 10,983
2013-14	(-) 7,031	(-) 4,495	(-) 5,027	(-) 314	(-) 16,867

5.4. महत्वपूर्ण बचत

अनुदान के तहत पर्याप्त बचत कुछ योजनाओं का गैर कार्यान्वयन कार्यक्रमों के धीमी कार्यान्वयन को इंगित करता है।

जिन अनुदानों में लगातार बचत दिखाई गयी निम्न प्रकार है

(प्रतिशत में)

ग्रांट का नाम	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
पशुपालन	13	13	11	2	3	10	7	8	13	17
सिंचाई	-	4	3	5	10	9	26	30	27	25

अध्याय 6 - परिसम्पत्तियाँ और दायित्व

6.1. परिसम्पत्तियाँ

खातों के मौजूदा स्वरूप सरकारी परिसम्पत्तियों, जैसे भूमि, भवनों आदि का पूर्ण रूप से सही मूल्यांकन नहीं दर्शाते। (अधिग्रहण-खरीद के वर्ष छोड़कर) इसी प्रकार खाते, केवल चालू वर्ष में होने वाले देनदारियों के प्रभाव को दर्शाते हैं वे केवल एक सीमा तक ब्याज की दर तथा मौजूदा ऋण की अवधि को दर्शाते हैं न कि देनदारियों का भविष्य में होने वाले सम्पूर्ण प्रभाव को।

6.1.1 निवेश तथा लाभ

वर्ष 2013-14 में गैर वित्तीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में शेयर पूंजी के रूप में कुल निवेश ₹ 7,379 करोड़ था। वर्ष के दौरान लाभांश प्राप्ति ₹ 6.49 करोड़ (निवेश का 0.09 प्रतिशत) था। वर्ष 2013-14 में निवेश में ₹ 139 करोड़ की वृद्धि हुई है जबकि लाभांश आय में ₹ 0.56 करोड़ की कमी हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक के साथ आरंभिक रोकड़ शेष ₹ 165 करोड़ था। रोकड़ शेष 31 मार्च 2014 के अंत में कम हो कर (-) ₹ 652 करोड़ हो गया।

6.1.2 रोकड़ शेष का निवेश और नकदी शेष

(₹ करोड़ में)

घटक	31 मार्च 2014 तक	31 मार्च 2013 तक	शुद्ध वृद्धि (+)/कमी(-)
रोकड़ शेष	(-) 652	165	(-)817
रोकड़ शेष से निवेश (जी.ओ.आई. खजाना बिल)	3,774	92	3,682
निर्धारित निधि शेष से निवेश	2,886	2,437	449
(क) निक्षेप निधि	1,060	975	85
(ख) गारंटी मोचन निधि	88	81	7
(ग) अन्य निधि	1,738	1,381	357
ब्याज प्राप्ति	113	36	77

6.2. ऋण और दायित्व

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 293 राज्य सरकारों को संचित निधि की अभिरक्षा पर एक सीमा के भीतर, यदि कोई है उधार लेने की शक्तियां प्रदान करता है जो कि राज्य विधानमण्डल द्वारा समय-

समय पर निर्धारित की जाती है। राज्य सरकार के लोक ऋण तथा दायित्वों का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है


(₹ करोड़ में)

वर्ष	लोक ऋण	जी.एस. डी.पी से %	लोक लेखा (*)	जी.एस. डी.पी से %	कुल दायित्व	जी.एस. डी.पी से %
2004-05	17,347	22	6,908	9	24,255	30
2005-06	19,588	21	7,435	8	27,023	29
2006-07	20,487	16	8,129	6	28,616	22
2007-08	20,489	13	8,628	6	29,117	19
2008-09	23,085	13	9,193	5	32,278	18
2009-10	28,795	13	10,542	5	39,337	18
2010-11	34,666	13	11,616	5	46,282	18
2011-12	41,396	13	13,144	4	54,540	18
2012-13	50,658	14	14,160	4	64,818	18
2013-14	60,294	16	15,969	4	76,263	20

(*) उच्चत और प्रेषण शेष से बाहर है।

नोट: वर्ष के अन्त तक आंकड़े प्रगतिशील शेष हैं।

वर्ष 2012-13 की तुलना में लोक ऋण और अन्य दायित्वों में ₹ 11,445 करोड़ (18%) की निविल वृद्धि हुई है।



6.3. गारंटी

विधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों निगमों, सहकारी समितियों आदि द्वारा ली गई पूंजी और उस पर ब्याज के भुगतान की अदायगी के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियों की स्थिति निम्न तालिका में दिखाई गई है:-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अधिकतम गारंटी राशि (केवल मूलधन)	वर्ष के अन्त तक राशि	
		मूलधन	ब्याज
2004-05	6,742	4,209	39
2005-06	8,448	5,627	17
2006-07	12,694	5,074	1
2007-08	6,341	4,401	-
2008-09	5,188	4,575	-
2009-10	4,757	4,536	-
2010-11	5,515	4,527	-
2011-12	10,690	5,608	-
2012-13	31,958	20,733	-
2013-14	38,376	27,306	-

₹ 546 करोड़ की निर्धारित गारंटी फीस (31 मार्च, 2014 को लम्बित गारंटी ऋणों ₹ 27,306 करोड़ का 2 प्रतिशत) के विरुद्ध राज्य सरकार को 2013-14 के दौरान ₹248 करोड़ प्राप्त हुए।

अध्याय 7 - अन्य मदें

7.1. राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण और अग्रिम

वर्ष 2013-14 के अन्त में सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण व अग्रिम का कुल योग ₹ 4,002 करोड़ था। इसमें से सरकारी निगमों/कम्पनियों, गैर सरकारी संस्थानों तथा स्थानीय निकायों को ₹ 3,262 करोड़ कर्ज तथा अग्रिम दिये गये हैं।

7.2. स्थानीय निकायों और अन्य को वित्तीय सहायता

वर्ष 2004-05 से वर्ष 2013-14 तक बीते 10 वर्षों में स्थानीय निकायों इत्यादि को सहायतानुदान में ₹ 518 करोड़ से ₹ 5,612 करोड़ की वृद्धि हुई है। जिला परिषद, पंचायत समितियाँ तथा नगरपालिकाओं, (₹ 1,175 करोड़) को कुल सहायतानुदान का 21 प्रतिशत आबंटन किया गया है।

बीते 10 वर्षों के सहायतानुदान का विस्तृत विवरण निम्न दर्शाया गया है:-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जिला परिषद	नगरपालिका	पंचायत समिति	अन्य	कुल
2004-05				518	518
2005-06				842	842
2006-07	922	922
2007-08	1,572	1,572
2008-09	2,053	2,053
2009-10	626	306	..	1,724	2,656
2010-11	687	288	..	1,979	2,954
2011-12	797	924	..	2,593	4,314
2012-13	962	1,125	..	2,893	4,980
2013-14	38	1,137	..	4,437	5,612

7.3 व्यय एवं प्राप्तियों का मिलान

व्यय पर कुशलतापूर्वक नियंत्रण, उसे बजट अनुमान के भीतर रखने एवं अपने लेखों को सही रखने के लिए सभी मुख्य नियंत्रण अधिकारियों/ नियंत्रण अधिकारियों को उनके रिकार्ड में दर्ज व्यय एवं प्राप्तियों का मिलान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) द्वारा दर्ज आकड़ों से हर माह कराना अपेक्षित है। यह मिलान समेकित निधि के अन्तर्गत समस्त प्राप्तियों एवं समेकित निधि के अन्तर्गत कुल व्यय का 99.98 प्रतिशत के लिए किया जा चुका है।

7.4 लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र

पंजाब वित्तीय नियम, खण्ड-1 (जैसा कि हरियाणा राज्य में लागू है) के नियम 8.14 के अन्तर्गत जहाँ सहायता अनुदान विशिष्ट प्रयोजनों के लिए स्वीकृत किए जाते हैं, विभागीय अधिकारियों द्वारा प्राप्तकर्ताओं से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने चाहिए जिसे जाँच उपरान्त निर्धारित अवधि के भीतर महालेखाकार (लेखा एवं हक.) को भेजना चाहिए। उपयोगिता प्रमाण पत्रों का प्रस्तुत न करना यह सुनिश्चित करने में कठिनाई प्रस्तुत करता है कि धन का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया है या नहीं, जिसके लिए यह जारी किया गया था एवं लेखों में दर्ज व्यय उस सीमा तक अंतिम नहीं माना जा सकता। महालेखाकार (लेखा एवं हक.) के अभिलेखों के अनुसार लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्रों का विवरण निम्न प्रकार है-

वर्ष	उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या	राशि(₹ करोड़ में)
2011-12 तक	75	242
2012-13	391	740
2013-14	923	2,709
जोड़-	1,389	3,691

लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्रों का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण विकास, पंचायती राज ,ग्रामीण रोजगार एवं सामान्य शिक्षा विभाग से संबंधित है।

7.5 सार आकस्मिकता बिल (ए0सी0 बिल) का असमायोजन

धन की अग्रिम आवश्यकता होने अथवा आहरण एवं संवितरण अधिकारी के लिए आवश्यक राशि की सही गणना संभव नहीं होने पर उन्हें सेवा शीर्ष को डेबिट करते हुए, संबंधित प्रपत्र संलग्न किए बिना, आकस्मिकता बिल प्रस्तुत करके राशि आहरित करने की अनुमति है । विस्तृत आकस्मिकता बिल(डी0सी0 बिल) बाद में संबंधित प्रपत्रों के साथ एक माह के अन्दर महालेखाकार को प्रस्तुत करने होते हैं। विस्तृत बिलों का देशी से प्रस्तुत करना अथवा लम्बी अवधि तक न प्रस्तुत करना लेखाओं की पूर्णता एवं सत्यता को प्रभावित करता है। 31 मार्च 2014 को जेल विभाग द्वारा जैमरों की खरीद के लिए, जनवरी 2013 में आहरित, ₹ 2 करोड़ का एक सार आकस्मिकता बिल लम्बित है।

7.6 वैयक्तिक जमा खाते

विशिष्ट प्रयोजनों हेतु संचित निधि से धन हस्तान्तरण द्वारा सरकार वैयक्तिक जमा खाते खोलने के लिए प्राधिकृत है । वैयक्तिक जमा खातों में धन का हस्तान्तरण समेकित निधि में संबंधित सेवा मुख्य शीर्ष के नीचे बिना नकदी प्रवाह के व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है। सामान्यतः यह खाते, अव्ययित शेष को वर्ष के अंतिम कार्य दिवस पर राजकोष (समेकित निधि) में जमा करके बन्द किये जाने चाहिए। वैयक्तिक जमा खाते आवश्यकता होने पर अगले वर्ष पुनः खोले जा सकते हैं । हालांकि वर्ष के दौरान हरियाणा सरकार द्वारा इस

प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। 2013-14 के दौरान वैयक्तिक जमा खातों की स्थिति निम्न प्रकार है -

विवरण	वैयक्तिक जमा खातों की संख्या	राशि(₹ करोड़ में)
1.4.2013 को	245	234
वर्ष के दौरान खोले गए	21	44
वर्ष के दौरान बन्द किए गए	24	41
31.3.2014 को	242*	237

* 242 वैयक्तिक जमा खातों में से 67 सक्रिय एवं 175 तीन वर्ष से अधिक अवधि से निष्क्रिय हैं।

7.7 ऋणात्मक शेष

31 मार्च, 2014 को लेखों में ऋणात्मक शेषों की स्थिति निम्न प्रकार है-

क्र०सं०	लेखा शीर्ष	ऋण शेष(₹ करोड़ में)
1	8342- अन्य जमा, 117-शासकिय कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना	60.59
2	8443-सिविल जमा, 121- चुनावों से संबंधित जमा	0.45
3	8671-विभागीय शेष, 101-सिविल	1.44

7.8 लेखे प्रस्तुत करने वाले संकायों से लेखाओं की प्राप्ति

हरियाणा सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों का संकलन 22 जिला कोषालयों, 113 लोक निर्माण मंडलों, 88 सिंचाई मंडलों एवं 58 वन मण्डलों द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक लेखों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों के आधार पर किया गया है। लेखे प्रस्तुत करने वाले संकायों से लेखाओं की प्राप्ति संतोषजनक है एवं वर्ष के अन्त में कोई भी लेखा छोड़ा गया है।

7.9 अपूर्ण लोक निर्माण कार्यों की बचनबद्धता

31 मार्च, 2014 को प्रत्येक 5 करोड़ एवं उससे अधिक के 110 अपूर्ण लोक निर्माण कार्य थे।

7.10 आरक्षित निधियाँ

विशिष्ट परियोजनाओं हेतु कुल 11 आरक्षित निधियाँ मौजूद थी जिनमें से 8 निधियाँ प्रचलित एवं 3 निधियाँ 3 से 30 वर्ष की अवधि से अप्रचलित थी। कुछ मुख्य आरक्षित निधियों का विवरण नीचे दिया गया है:

7.10.1 समेकित निक्षेप निधि

हरियाणा सरकार द्वारा खुले बाजार कर्जों की अदायगी के लिए वर्ष 2002 में समेकित निक्षेप निधि का गठन किया गया। नियमानुसार सरकार द्वारा पूर्व वर्ष के अन्त में खुले बाजार कर्जों के 1 से 3 प्रतिशत के बराबर निधि को अंशदान निर्धारित है। राज्य सरकार द्वारा 2013-14 के लिए ₹297 करोड़ का बजट प्रावधान (पिछले वर्ष के अन्त में खुले बाजार कर्जों का 1 प्रतिशत) होने के बावजूद समेकित निक्षेप निधि को कोई हस्तांतरण नहीं किया गया। इस प्रकार राजस्व घाटा उस हद तक कम दिखाया गया। 31 मार्च, 2014 को समेकित निक्षेप निधि में ₹1,062 करोड़ शेष था जिस में से ₹1,060 करोड़ निवेशित है।

राज्य सरकार द्वारा अपनी समेकित निक्षेप निधि स्कीम को 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों एवं भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार अंशदान को पूर्व वर्ष के अन्त में लम्बित देनदारियों के 0.5 प्रतिशत के बराबर करने के लिए बदलाव नहीं किया है। यदि ऐसा किया गया होता तो 2013-14 के दौरान वार्षिक अंशदान ₹324 करोड़ (31 मार्च, 2013 को लम्बित देनदारियाँ ₹6,48,18 करोड़ है) होता।

7.10.2 गारंटी मोचन निधि

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों एवं स्थानीय निकायों के प्रति दी गई गारंटियों के निर्वहन के लिए हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2003 में गारंटी मोचन निधि का गठन किया गया। निधि के संविधान के अनुसार राज्य सरकार द्वारा संग्रहित गारंटी फीस, वार्षिक एवं आवधिक अंशदान जो भी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए, गारंटी मोचन निधि को हस्तान्तरित करनी होती है। निधि का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। वर्ष के दौरान ₹4,05.06 करोड़ के बजट प्रावधान के बावजूद राज्य सरकार द्वारा निधि को कोई अंशदान हस्तान्तरित नहीं किया गया जिस कारण उस हद तक राजस्व घाटा कम दिखाया गया।

7.10.3 राज्य आपदा राहत निधि

तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 में आपदा राहत निधि को राज्य आपदा राहत निधि (एस.डी.आर.एफ.) से प्रतिस्थापित किया गया। निधि के दिशानिर्देशों के अन्तर्गत केन्द्र व राज्य सरकारों को निधि में 75:25 के अनुपात में अंशदान देना होता है एवं ये अंशदान व्यय मुख्य शीर्ष 2245 को प्रचालित करते हुए लोक-लेखा में मुख्य शीर्ष 8121 को हस्तान्तरित करने होते हैं। वर्ष के दौरान आपदा राहत पर व्यय को लोक-लेखा को नामे करते हुए व्यय मुख्य शीर्ष 2245 को विपरीत नामे करते हुए समायोजित किया जाता है। निधि में शेषों को इस प्रयोजन हेतु गठित राज्य कार्यकारी समिति की अनुशंसाओं के अनुसार निवेशित किया जाता है।

वर्ष 2013-14 के दौरान, केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य आपदा राहत निधि के लिए ₹ 235 करोड़ जारी किए गए। इसमें केन्द्रीय भाग की वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 की बकाया राशि (क्रमशः ₹ 76 करोड़ एवं ₹ 159 करोड़) सम्मिलित थी। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 के लिए क्षमता निर्माण के ₹ 5 करोड़ जारी

किए गए। वर्ष 2013-14 का केन्द्रीय भाग अभी जारी किया जाना था। ₹ 276 करोड़ की राशि (केन्द्रीय भाग ₹ 235 करोड़, राज्य भाग ₹41 करोड़) उप-सचिव, आपात राहत, हरियाणा जिसे एस.डी.आर.एफ.का प्रशासक नियुक्त किया गया है, द्वारा प्रचालित बचत बैंक खाते को मुख्य शीर्ष 2245-05-101 को नामे एवं मुख्य शीर्ष 8675 आर.बी.डी. को जमा करते हुए हस्तातरित किए गए। विभागीय अधिकारियों का बचत खाता प्रचालित करना नियमानुसार अनुमत्य नहीं है। राज्य राजस्व व आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा सूचित किया गया कि प्राकृतिक आपदाओं पर ₹104 करोड़ की राशि सीधे बचत बैंक लेखे से खर्च की गई। क्योंकि यह व्यय कोषालय के माध्यम से नहीं किया गया, जैसा कि आवश्यक है, महालेखाकार (लेखा एवं हक) विभागीय दावे की सत्यता का अनुमोदन नहीं कर सकता। प्रशासक द्वारा यह भी सूचित किया गया कि ₹81 करोड़ की राशि बचत बैंक खाते/सावधिक जमा रसीदों पर अर्जित ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। यद्यपि महालेखाकार (लेखा एवं हक) द्वारा उक्त दावे के आधार पर मुख्य शीर्ष 8121-122-राज्य आपदा राहत निधि के अन्तर्गत आवश्यक समायोजन किया गया, यहाँ भी महालेखाकार (लेखा एवं हक) लेन-देन की सत्यता को अनुमोदित करने की स्थिति में नहीं है। अतः वित्त लेखों की विवरणी 1,2,17,18 एवं 19 में दर्ज समरूपी आकड़ों की सत्याता को भी सत्यापित नहीं किया जा सकता।

7.11 हरियाणा राज्य कोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम एवं उसके अधीन नियमों के अन्तर्गत प्रकटन

क्र०सं०	लक्ष्य	लेखों के अनुसार उपलब्धि
1	वित्त वर्ष 2005-06 से उत्तरोत्तर राजस्व घाटा कम करते हुए वर्ष 2011-12 में इसे शून्य करना तथा 2014-15 तक उसे बनाए रखना।	लेखाओं के अनुसार हरियाणा सरकार 2012-13 में ₹4,438 करोड़ एवं 2013-14 में ₹3,875 करोड़ राजस्व घाटे में थी। हरियाणा सरकार के लेखे वर्ष 2011-12 से राजस्व घाटा दिखाते रहे हैं।
2	मार्च 2009 अन्त तक राजकोषीय घाटा जी.एस.डी.पी. का 3.5 प्रतिशत एवं 2010-11 में जी.एस.डी.पी. का 3 प्रतिशत तथा उसे 2014-15 तक बनाए रखना।	लेखाओं के अनुसार, हरियाणा सरकार ने 2012-13 में जी.एस.डी.पी. का 2.93 प्रतिशत (₹ 10,362 करोड़) एवं 2013-14 में जी.एस.डी.पी.* का 2.17 प्रतिशत (₹ 8,313 करोड़) राजकोषीय घाटा दिखाया।
3	2013-14 में ऋण भण्डार जी.एस.डी.पी. का 22.8 प्रतिशत से अधिक न होना।	वर्ष 2013-14 में राज्य सरकार के कुल बकाया ऋण (₹ 60,294 करोड़) जी.एस.डी.पी.* का 15.71 प्रतिशत था।

* वर्तमान दरों पर जी.एस.डी.पी.= ₹ 3,83,911 करोड़ जैसी कि सांख्याकी एवं योजना क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा अगस्त, 2014 में प्रकाशित की गई।

7.12 नई पेंशन स्कीम

1 जनवरी 2006 अथवा उसके बाद नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारी, नई पेंशन स्कीम जो कि एक परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना है, के अन्तर्गत पात्र हैं। इस स्कीम के अन्तर्गत कर्मचारी अपने मूल वेतन व महागाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान करता है, उतना ही अंशदान राज्य सरकार करती है एवं सारी राशि, नियुक्त निधि प्रबंधक को राष्ट्रीय प्रतिभूति जमा निगमित (एन.एस.डी.एल.) /अमानती बैंक के माध्यम से हस्तान्तरित की जाती

है। कर्मचारियों द्वारा देय वास्तविक राशि एवं राज्य सरकार द्वारा तुलनात्मक अंशदान का वर्ष दर वर्ष अनुमान नहीं लगया गया है। कोषाधिकारियों द्वारा लोक- लेखा से एन0एस0डी0एल0/ अमानती बैंक को शेषों से अधिक धन हस्तान्तरण एवं महालेखाकार (लेखा एवं हक.) द्वारा दर्ज आकड़ों से मिलान न करने के कारण शीर्ष 8342-117- परिभाषित अंशदान पेंशन स्कीम के अन्तर्गत 1 अप्रैल, 2013 को पहले ही ₹23 करोड़ का ऋणात्मक शेष था । महालेखाकार (लेखा एवं हक.) द्वारा संबंधित कोषाधिकारियों, निदेशक, खजाना एवं लेखा तथा वित्त विभाग से निरन्तर पत्राचार एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) के साथ प्रवेश एवं निकास सम्मेलनों में उठाये जाने के बावजूद मामले का समाधान नहीं हो सका। वर्ष 2013-14 के दौरान स्थिति और बिगड गई जब वर्ष के दौरान ₹ 383 करोड़ (कर्मचारी अंशदान के ₹240 करोड एवं सरकार के अंशदान के ₹143 करोड)के प्रति, कोषाधिकारियों द्वारा एन0एस0डी0एल0/ अमानती बैंक को ₹421 करोड़ हस्तान्तरित कर दिए गए। यह ऋणात्मक शेष अब (31 मार्च, 2014) ₹ 61 करोड है तथा महालेखाकार (लेखा एवं हक.) द्वारा राज्य सरकार से किए गए प्रयासों के बावजूद समाधान नहीं हो पाया है। स्कीम के अन्तर्गत असंग्रहित एवं अहस्तान्तरित राशियाँ, यदि कोई हों एवं उनपर संगणित ब्याज भी उस हद तक सरकार के उत्तरदायित्व को प्रभावित करेगीं।

© भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक
2014
www.cag.gov.in

www.aghry.gov.in